

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

// विज्ञापन //

क्रमांक 944 / दो-11-5 / 2008(Part-III)

बैकुण्ठपुर, दिनांक 25.05.2023

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30.06.2023 संध्या 05:00 बजे तक

जिला न्यायालय कोरिया, बैकुण्ठपुर स्थापना अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी भृत्य तथा आकस्मिकता निधि (वाटरमेन/चौकीदार/स्वीपर) कर्मचारियों के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जिला न्यायालय कोरिया, बैकुण्ठपुर में दिनांक 30.06.2023 के संध्या 05.00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र०	रिक्त पद	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद											अनारक्षित पद				
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग			सामान्य				
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक
1	भृत्य	14	1	0	0	0	5	1	0	0	2	0	0	0	4	1	0	0
2	भृत्य (विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	भृत्य (फास्ट ट्रेक कोर्ट) योग.	16	1	0	0	0	5	1	0	0	2	0	0	0	6	1	0	0
4	आकस्मिकता निधि (स्वीपर वाटरमेन, चौकीदार) योग.	14	1	0	0	0	3	2	2	0	1	0	0	0	4	1	0	0
		14	1	0	0	0	3	2	2	0	1	0	0	0	4	1	0	0

- टीप :-**
- क. भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668 / 2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।
 - ख. परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
 - ग. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिये आरक्षित है। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किये जायेंगे।
 - घ. सा0प्र0वि0क0एफ 3-1/2016/1-3/दिनांक 11.01.2017 के अनुसार महिलाओं के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिये ही लागू है।
 - ड. आकस्मिकता निधि कर्मचारी की सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

1. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।

(1) भृत्य पद के लिये –

अ- वेतनमान – वेतन मैट्रिक्स लेवल-1 (4750-7440)

ब- शैक्षणिक योग्यता –

1. किसी मान्यता बोर्ड से कक्षा पाँचवी परीक्षा उत्तीर्ण हो। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

(2) आकस्मिकता निधि पद के लिये –

अ- वेतनमान – कलेक्टर कोरिया द्वारा निर्धारित दर पर।

ब- शैक्षणिक योग्यता –

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा पाँचवी परीक्षा उत्तीर्ण हो। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

महत्वपूर्ण – यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा, कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छ0ग0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है।

किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

2. आयु एवं पात्रता

- (1) आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में अभ्यर्थी चाहे तो रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करते हुये, रोजगार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत कर सकता है।

नोट :- कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी। परन्तु उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (अ)- कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।

- (ब)- कोई पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- (2) उम्मीदवार दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट की अवधि कैलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक के लिये प्रदान की गई है।

- (3) छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2005/1-3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30.01.2019 के अनुसार अन्य विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु सभी छूट को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (4) आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

3. उच्चतर आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :-

- 3(एक) (1)- यदि अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

- 3(एक) (2)– छ0ग0 शासन स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छ0ग0 राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- 3(एक) (3)– ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक न हो।
- स्पष्टीकरण :-** छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।
- 3(एक) (4)– ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप में आये निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।
- 3(एक)(5)– महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
- 3(एक) (6)– शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- 3(एक) (7)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।
- 3(एक) (8)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुये दी जायेगी, किन्तु

3(एक)(9)– संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

3(एक) (10)– शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिये 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

3(दो) (1)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

नोट :- आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3(दो) (2)– विक्रम पुरस्कार प्राप्त सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप- (1)– बिन्दु क्रमांक-3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2)– बिन्दु क्रमांक-3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा को सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक प्रकार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट बिन्दु क्रमांक 03 में दी गयी विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण:- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोट :- अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ0ग0 शासन) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

4. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- (1) विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम **मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो**, को कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0), पिन- 497335 में दिनांक **30.06.2023** की संध्या **05.00** बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। दिनांक **30.06.2023** की संध्या 05.00 बजे के उपरान्त डाकघर से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। **(व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे)**
- (2) आवेदन पत्र के साथ **जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र** (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् शासकीय सेवकों को छोड़कर), **दिव्यांगता प्रमाण पत्र** इत्यादि प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (3) अभ्यर्थी को एक से अधिक पद के लिये आवेदन हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया

भृत्य एवं आकस्मिकता निधि के पद हेतु :-

रिक्त पदों एवं उचित पाये गये आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुये माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, कोरिया, बैकुण्ठपुर के द्वारा साक्षात्कार के लिये पात्रता निर्धारण हेतु नियम/प्रक्रिया विहित की जा सकेगी एवं तत्संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। जारी पदों के **बीस गुणा** अभ्यर्थियों की सूची उनके कक्षा पाँचवी के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम में तैयार की जावेगी तथा इस सूची में आने वाले अभ्यर्थी को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जावेगा। साक्षात्कार कुल 15 अंक का होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार सुरक्षित होगा।

साक्षात्कार उपरांत अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

“परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी लिया जावेगा ।”

नोट:- चयन प्रक्रिया उपरांत जारी चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची से विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज एवं फास्ट ट्रेक कोर्ट हेतु पृथक-पृथक सूची जारी किया जावेगा।

6. अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिये, कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी के साथ भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। **पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिये।**

7. अन्य आवश्यक सूचनाएँ

A नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0) को होगा।

B उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी।

C समस्त पदों हेतु :- चयनित अभ्यर्थी को **03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि** पर नियुक्त किया जावेगा। परिवीक्षा अवधि पर उन्हें निम्नानुसार स्टापेड देय होगा :-

प्रथम वर्ष	-	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत,
द्वितीय वर्ष	-	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत,
तृतीय वर्ष	-	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत,

परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टापेड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होते रहेंगे।

परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल 01 वर्ष के लिये और बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी। उनकी नियुक्ति छ0ग0

उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम 2017 के अध्यक्षीन रहेगा।

D आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जो उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित हो प्रस्तुत करना होगा।

E प्रत्येक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी, तथा कार्यालय के वेबसाईड <https://districts.ecourts.gov.in/korea> में भी अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति निर्धारित तिथि के शाम 05.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी, **तत्पश्चात् किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।**


F परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

नोट :- पात्र अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र कार्यालय के वेबसाईड के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से नहीं भेजा जावेगा। **अतः अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे कार्यालय के वेबसाईड का सतत अवलोकन करते रहें।**

H प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् "सूचना के अधिकार अधिनियम" के अंतर्गत प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

स्थान :- बैकुण्ठपुर

दिनांक :- 25.05.2023


25/5/23

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

आवेदन-पत्र का प्रारूप

(भृत्य तथा आकस्मिकता निधि (वाटरमेन/चौकीदार/स्वीपर) कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

नवीनतम पासपोर्ट
आकार का फोटो
चस्पा कर स्व
प्रमाणित करें।

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :
(अंग्रेजी के केपिटल लेटर्स में) :
3. लिंग (संकेतांक) पुरुष-1, महिला-2, अन्य-3
4. पिता/पति का नाम :
- 5.(अ) पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में) :
:
:
(ब) स्थायी पता :
(यदि पत्र व्यवहार का पता एवं स्थायी पता एक :
ही है तो तदैव लिखें) :
- 6.(अ) जन्म तिथि (अंकों में)
शब्दों में :
- (ब) दिनांक 01.01.2023 को आयु वर्ष माह दिन
7. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 राज्य का मूल निवासी है?
हाँ/नहीं (समक्ष अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
8. अ. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हाँ/नहीं
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
ब. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें
9. अ. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है? हाँ/नहीं
(यदि हाँ, तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
ब. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :
10. क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है? हाँ/नहीं
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक:.....
व दिनांक :.....
12. रोजगार कार्यालय का नाम :.....
13. क्या आप विवाहित हैं? हाँ/नहीं
14. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि
15. जीवित बच्चों की संख्या
16. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक

17. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हाँ/नहीं
(यदि हाँ, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
18. स्व-प्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-
- A B
- C D
- E F
- G H
- I J

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है एवं आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त किये जाने योग्य होगी।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पता)

नाम :

पता :

.....